न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–13 / 2025

जीसीएमएस नं0 2025 / 108

1.माधो लाल पुत्र श्री स्वर्गीय हीरालाल, जाति माली निवासी ताखा जी के मन्दिर के पास गिरधरपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 19/05/25

उपस्थितिः–

1.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि माधो लाल पुत्र श्री स्वर्गीय हीरा लाल, जाति माली आयु 40 वर्ष निवासी ताखा जी के मन्दिर के पास गिरधपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 का हूँ मेरा नाम रामदेव पुत्र श्री हीरा लाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा खाता सं0 नया 1 पुराना 2 की कृषि भूमि खसरा नं0 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, कुल खसरा 7 निजान रकबा 2.15 है0 जिसमें 1/21 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है एवं मेरा नाम माधो लाल पुत्र हीरालाल के स्थान पर संहवन भूल के कारण रामदेव दर्ज हो गया है। जबकी मेरा सही एवं सत्य नाम माधोलाल पुत्र हीरालाल जाति माली दर्ज करवाना चाहता हूँ। रामदेव पुत्र हीरा लाल एवं माधो लाल पुत्र हीरालाल जाति माली दर्ज करवाना चाहता हूँ। रामदेव पुत्र हीरा लाल एवं माधो लाल पुत्र हीरालाल नाम का मै ही एक मात्र युवक हूँ तथा मुझे दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता है। नाम बाबत् समस्त जवाबदारी मेरी स्वयं की है। मेरी हिस्सेदारी की 1/21 की खसरा नं0 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139 कुल खसरा 7 निजान रकबा 2.15 है0 में रामदेव के स्थान पर माधो लाल दर्ज कर लिया जावे। साक्ष्य में मेरा आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड की प्रति पेश है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि माधो लाल पुत्र हीरालाल के स्थान पर संहवन भूल के कारण रामदेव दर्ज करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी

को.

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि ग्राम नान्ता के खाता सं0 11 में रामदेव पुत्र हीरा का नाम नामा0 सं0 294 दिनांक 28.02.01 द्वारा हीरा पुत्र मन्ना के वारिसान के रूप में दर्ज हुआ। उक्त के संबंध में ग्राम गिरधरपुरा के मजमें आम में उपस्थित ग्रामवासियान व परिवाजनो द्वारा जानकारी ली गई जिसमें बताया गया कि उक्त व्यक्ति रामदेव/माधोलाल एक ही व्यक्ति है। जिसे हीरा पुत्र मन्ना के वारिस के रूप में रामदेव पुत्र हीरा सहवन से दर्ज कर दिया गया था।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में माधो लाल पुत्र श्री हीरालाल का शपथ पत्र पेश हुया।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि मौके पर ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि रामदेव पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा का वास्तविक व सही नाम माधो लाल ही है। परिवारजन से पूछताछ करने पर भी रामदेव पुत्र हीरालाल का नाम माधो लाल पुत्र हीरालाल ही बताया गया। रामदेव उर्फ माधो लाल पुत्र हीरा लाल एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि रामदेव एवं माधो लाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नान्ता पटवार हल्का नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 11 पुराना 72 के खसरा संख्या 131 रकबा 0.65 है., खसरा सख्या 132 रकबा 0.60 है0, खसरा संख्या 133 रकबा 0.04 हैं०, खसरा संख्या 136 रकबा 0.24 हैं०, खसरा संख्या 137 रकबा 0.02 हैं०, खसरा संख्या 138 रकबा 0.02 हैं०, खसरा संख्या 139 रकबा 0.58 हैं० कुल रकबा 2.15 है0 में हिस्सा 1/21 में प्रार्थीगण का नाम रामदेव पुत्र हीरा के स्थान पर रामदेव उर्फ माधो लाल पुत्र हीरा दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 19/05/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
को।